कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन" सेक्टर 24, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष क्रमांक - 0771-2513100

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक के संविदा पद पर भर्ती हेतु अन्य उपबन्ध व शर्तेः-

1. आवेदन पत्र संघ के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियॉ सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वंय पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

2. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक एवं सही भरे । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर यदि अन्य कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो नियोक्ता को आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त करने संबंधी आवश्यक सम्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

3. मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

4. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का विगत 3 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है ।

5. संघ के संविदा नियमानुसार सेवानिवृत्त सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पॉच बिन्दुओं पर जानकारी सेवानिवृत्ति पूर्व पदस्थ वृत्त कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें:-

   क) विभागीय जांच कदाचार पर
   ख) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर
   ग) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर
   घ) दोष सिद्ध होने पर
   ड़) सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें।

6. संविदा नियुक्ति केवल छः माह के लिए होगी उसके पश्चात् स्वमेव समाप्त हो जावेगी। कार्य की आवश्यकता एवं कार्यक्षमता के आधार पर ही संघ द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

7. संविदा नियुक्ति कर्मचारी को निर्धारित एक मुश्त वेतन के अलावा कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड, पासपोर्ट, किसी संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि में से कोई एक) की छायाप्रति स्वयं के द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

10. आवेदक की संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए दी जा सकेगी । आयु के पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की मार्कशीट स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है।

11. यदि आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हों तो वे प्रत्येक पद हेतु पृथक - पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। एक आवेदन पत्र केवल एक ही पद हेतु मान्य किया जावेगा। यदि एक ही आवेदन पत्र में दोनों पदों का उल्लेख किया गया है तो संबंधित आवेदन अमान्य किया जावेगा।

12. पत्राचार हेतु आवेदन पत्र के साथ 9"X 4" साइज का स्वयं का पता लिखा हुआ एवं रू. 5.00 का टिकट चस्पा किया हुआ एक लिफाफा संलग्न करें।

13. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

14. आवेदन पत्र केवल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2019 की सायं 5.00 बजे तक कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा स्वयं द्वारा कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर जमा की जा सकती है। लेकिन निर्धारित तिथि व समय के उपरांत इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

15. विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या के संबंध में निर्णय का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी का होगा।

16. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

17. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अमान्य किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

18. सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। आवश्यकता होने पर सेवा वृद्धि के संबंध में सेवा सत्यापन / गोपनीय प्रतिवेदन में अनुकूल टिप्पणी होने पर ही सेवा वृद्धि की जा सकेगी।

19. चयन हेतु आवेदक की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को होगा।

20. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बिना कोई कारण बताए सभी पदों को भरने अथवा भरे जाने वाले पदों की संख्या में परिवर्तन करने अथवा किसी भी पद को निरस्त करने अथवा यहाँ तक कि भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर